



1333 Bush Street San Francisco, CA 94109 415/292-8888

TTY: 711

शिकायत की रिपोर्ट

(प्रतिभागी के मेडिकल रिकॉर्ड का भाग नहीं है)

प्रतिः	भागी का नाम:			On Lok PACE #:	केंद्र/टीम:
		अंतिम	प्रथम		
On l	Lok PACE द्वारा	शिकायत प्राप्त	करने की तिथि:		
इस रि	शेकायत को दाखि	ल करने में प्रतिभ	ागी की सहायता व	करने वाले व्यक्ति का नाम:	
	प्रतिभागी का प्रति	• -			
	On Lok PACE)	D ((())	
u	कालफानिया का सहायता केंद्र	प्रबाधत स्वास्थ्य व	स्थमाल ।वमाग (Department of Managed Health	n Care, DMHC)
अगर	•	निधि का चयन कि	ज्या जाता है तो प्र	।तिभागी से संबंध का उल्लेख करें:	
				तेथि, घटना का स्थान, शामिल व्यक्ति संभव हो, प्रत्यक्ष उद्धरण शामिल है)।	
	रश प्रस्ता प्रगासिह र १ स्थान की आवश्य				जगर जायपम जायपम
		.,			
शिव	गयत की रिपोर्ट क	रने वाले व्यक्ति व	ग हस्ताक्षर:		_ तिथि:
				ा गया है, तो कृपया नीचे आपके द्वारा	अनुभव की जाने वाली
	~ ~ ~			सभी को चेक करें):	
-			-] अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें):	2.2
				ल विभाग से शिकायत की रिपोर्ट को प जा पर लिखिन जानकारी गाउँन किए र	
				त्या पर लिखित जानकारी प्राप्त किए र के प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग से	
	ग्राप्त की जा सकती				

जैसे ही रिपोर्ट पूरी हो जाती है, कृपया रिपोर्ट और किसी भी अतिरिक्त पृष्ठों को On Lok PACE के जी सेंटर में स्वास्थ्य प्लान सेवाओं के विभाग को अग्रेषित कर दें। महत्वपूर्ण: अगर आपको इस फ़ॉर्म को भरने के लिए भाषा सहायता चाहिए या टेलीफोन द्वारा कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य प्लान सेवाओं के विभाग से 415-292-8895 पर या हमारे निःशुल्क नंबर 1-888-996-6565 (TTY: 711) पर कॉल करें। सहायता सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्व 8:30 बजे से अपराह्व 5:00 बजे तक उपलब्ध है। आप कोई शिकायत दर्ज कराने या हमारी शिकायत प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए www.onlok.org/PACE पर हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते/सकती हैं।

कैलिफोर्निया के प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग की शिकायत प्रक्रिया

कैलिफोर्निया के प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्लैन को विनियमित करने के लिए ज़िम्मेदार है। अगर आपको अपने स्वास्थ्य प्लैन से कोई शिकायत है तो आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य प्लैन को 415-292-8895 या 1-888-996-6565 पर टेलीफ़ोन करना चाहिए और विभाग से संपर्क कर उसके समक्ष अपने स्वास्थ्य प्लैन की शिकायत प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। इस शिकायत प्रक्रिया का उपयोग करने से आपको उपलब्ध किसी भी संभावित कानूनी अधिकार या उपचार को प्रतिबंधित नहीं करता है। अगर आपको ऐसी शिकायत जो आपात स्थिति से संबद्ध हो, ऐसी शिकायत जिसका समाधान आपके स्वास्थ्य प्लैन द्वारा संतोषजनक रूप से नहीं किया गया है या ऐसी शिकायत जो 30 दिनों से अधिक समय तक अनसुलझी पड़ी है, में मदद चाहिए, तो आप मदद के लिए विभाग को कॉल कर सकते हैं। आप स्वतंत्र चिकित्सा समीक्षा (Independent Medical Review, IMR) के लिए भी पात्र हो सकते हैं। अगर आप IMR के लिए पात्र हैं, तो IMR प्रक्रिया प्रस्तावित सेवा या चिकित्सा की मेडिकल आवश्यकता, ऐसी चिकित्सा के लिए कवरेज निर्णय जो प्रकृति में प्रायोगिक या जाँच योग्य हो और आपातकालीन या तत्काल चिकित्सा सेवाओं के लिए भुगतान विवाद से संबंधित किसी स्वास्थ्य प्लैन द्वारा लिए गए मेडिकल निर्णयों की निष्पक्ष जाँच उपलब्ध कराएगी। विभाग के पास बोलने और सुनने में अक्षम लोगों के लिए भी एक टोल फ्री टेलीफ़ोन नम्बर (1-888-466-2219) और एक TDD लाइन (1-877-688-9891) भी है। विभाग के इंटरनेट वेबसाइट http://www.dmhc.ca.gov में शिकायत फ़ॉर्म, IMR आवेदन फ़ॉर्म तथा निर्देशावली ऑनलाइन मौजूद हैं।

For On Lok PACE Staff Use Only:

On	Lok PACE staff member who received the grievance: Health Plan Services Dept Social Worker Other				
	Report received by the On Lok PACE staff member identified above: Date				
	Health Plan Services Department notified of the grievance by telephone or e-mail: Date				
	Health Plan Services Department telephoned acknowledgment of receipt to the participant (within 5 calendar				
_	days): Date Time				
	Health Plan Services Department sent a written acknowledgment to the participant (within 5 calendar days):				
_	Date				
Ц	Chief Medical Officer is notified of the grievance concerning medical care or urgent grievance:				
_	Date Time				
	Date Time				
Thirty calendar days from the day that the grievance was received, either:					
	The grievance has been resolved. The Chief Medical Officer or the Senior Director of Health Plan Services has sent a report describing the problem's resolution, the basis for the resolution, and the review process if				
	dissatisfaction continues to the participant and/or the participant's representative. OR				
	The grievance is pending. A report with a brief explanation of the reasons for the delay has been sent to the				
	participant and/or the participant's representative and the Contract Manager for the DHCS.				
Expedited Review: Grievance involves an imminent and serious threat to the health of the participant					
	The participant and/or the participant's representative are immediately notified by telephone of the receipt of the				
	request for an expedited review.				
	The participant and/or the participant's representative are notified of their right to notify the DHCS, the DMHC,				
	and the Department of Social Services of the grievance.				
	No later than 3 days from receipt of the grievance, a written statement of the final disposition or pending status				
	of the grievance is sent to the participant and/or the participant's representative, the DHCS, and the DMHC.				

२ का पृष् ठ २